संख्या- 02/5/16-प्रशासन
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स,
ए-ब्लॉक, आईएनए, नई दिल्ली
दिनांक 12th जुलाई 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना - सापेक्ष योग्यता अंक प्रणाली के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को **इस विभाग के दिनांक 23.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं 43019/9/2019 –स्थापना (डी) के परिशिष्ट के अंतर्गत पैरा 13 (VI)** का संदर्भ लेने का तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस योजना का उद्देश्य उस सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देना है जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है या जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत हुए हैं, जिसके कारण उनका परिवार अभाव में रहता है और उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं होता। यह संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत दिलाने और उसे आपातकाल से उबरने में मदद करने के लिए है।

2. योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा अनुदेशों का समय-समय पर समीक्षा/संशोधन/सरलीकरण किया जाता है, ताकि अंत में बनाए गए तंत्र का स्वरूप अधिक पारदर्शी, कुशल और एक समान हो। यह पहलू, जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए समिति द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते समय, परिवार की वित्तीय स्थिति का एक संतुलन और उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन, उसकी पूंजी तथा देनदारियों और अन्य सभी सम्बद्ध कारकों, जैसे कमाने वाले सदस्यों की संख्या, परिवार का आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की आवश्यक ज़रूरतें आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यह सीधी भर्ती (डीआर) रिक्तियों की 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए गए सभी आवेदकों के मध्य गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है।

3. अनुकंपा नियुक्ति मामलों पर कार्रवाई करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संदर्भ में सूचित विभिन्न कारकों के आधार पर, आवेदकों को अंक आवंटित करके मामलों की योग्यता पर आसानी से विचार किया जा सकता है।

4. तदनुसार, 100 अंक-पैमाने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक की विभिन्न विशेषताओं को महत्व देने के लिए एक सापेक्ष योग्यता अंक प्रणाली **अनुलग्नक -1** में दी गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के उन अधिकारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के दावों की योग्यता का आकलन करने के लिए 100 अंक पैमाना -पैरामीटर का उपयोग किया जाएगा, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है /चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं।

5. **अनुलग्नक-1** में उल्लिखित 100 अंक-पैमाने के मापदंडों को लागू करते समय, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ उम्मीदवार योग्यता में समान अंक प्राप्त करते हैं और सक्षम प्राधिकारी ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता तय करने में असमर्थ होते हैं, तो **ऐसे मामलों में टाई ब्रेकिंग फैक्टर** का निर्धारण निम्नानुसार होगा :

(i) प्रति आश्रित अर्जित आय अर्थात **अनुलग्नक – I** में निर्धारित प्रथम तीन वित्तीय मापदंडों (वार्षिक पेंशन, कुल सेवानिवृत्ति लाभ तथा कार्यरत सदस्यों की वार्षिक आय और संपत्ति से आय) के योग को कुल आश्रितों की संख्या से भाग किया जाएगा। परिणामत: प्रति आश्रित उपलब्ध आय जिसकी कम होगी, उसकी रैंक उन आवेदकों के मध्य सबसे अधिक होगी जिन आवेदकों के अंक एक समान होंगे।
(ii) प्रति आश्रित अर्जित आय के कारक को लागू करने पर भी अंक बराबर होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी की बची हुई सेवा पर विचार किया जा सकता है। उस सरकारी कर्मचारी से संबंधित आवेदक, जिसकी सेवा अधिक शेष है, उसे कम शेष सेवा वाले की तुलना में अधिक वरीयता दी जाएगी। इसके पश्चात भी बराबरी की स्थिति में, अगला कारक शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग आश्रितों और अविवाहित बेटी(यों) की संख्या हो सकती है। फिर भी बराबरी की स्थिति में, अगला कारक आवेदक की उम्र हो सकती है, जिसमें उम्र में बड़े आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. ऊपर बताए गए क्रम में टाई ब्रेकिंग फैक्टर(रों) का उपयोग, केवल 100-अंक पैमाने पर समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों की सापेक्ष योग्यता तय करने के लिए किया जाना चाहिए और केवल तभी जब समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।

7. अधिमान प्रणाली न केवल संपूर्ण पद्धति को उद्देश्य प्रदान करती है अपितु चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और एकरूपता भी सुनिश्चित करती है। अब से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के साथ अधिमान अंक प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाए।

संलग्न : अनुलग्नक-I
अनुलग्नक-II

Vamsi

(पी. वामसी रामा कृष्णा)
अवर सचिव
केंद्रीय सतर्कता आयोग

प्रति

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग में अनुकंपा नियुक्ति हेतु सभी आवेदक। यह अनुरोध है कि विवरण निर्धारित प्रारूप में भरें और इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रशासन अनुभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग में जमा कराएं। निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।
2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अनुकंपा नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सचिव का कार्यालय।
4. संयुक्त सचिव(एनके) का कार्यालय।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक की विभिन्न विशेषताओं के लिए अंकों के आवंटन हेतु सापेक्ष योग्यता अंक प्रणाली:

1(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त मूल पारिवारिक पेंशन/ मासिक राशि **(20 अंक)**

क्र. सं.	**स्लैब**	**अंक**
1.	9,000 तक	20 अंक
2.	9,001----11,500	18
3.	11,501----14,000	16
4.	14,001----16,500	14
5.	16,501----19,000	12
6.	19,001----21,500	10
7.	21,501---24,000	08
8.	24,001----26,500	06
9.	26,501----29,000	04
10.	29,001----31,500	02
11.	31,501 और उससे अधिक	00

(ख) कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को प्राप्त एकमुश्त राशि (अर्थात डीसीआर उपदान, जीपीएफ/पीपीएफ खाता शेष, अवकाश नकदीकरण, सीजीईजीआईएस, एलआईसी, पीएलआई आदि) / एनपीएस आदि में प्राप्त एकमुश्त राशि **(10 अंक)**

क्र. सं.	**स्लैब**	**अंक**
1.	10,00,000 तक	10 अंक
2.	10,00,001----11,87,500	09
3.	11,87,501----13,75,000	08
4.	13,75,001----15,62,500	07
5.	15,62,501----17,50,000	06
6.	17,50,001----19,37,500	05
7.	19,37,501----21,25,000	04
8.	21,25,001----23,12,500	03
9.	23,12,501----25,00,000	02
10.	25,00,001----26,87,500	01
11.	26,87,501 और उससे अधिक	00

(ग) चल/अचल संपत्ति से वार्षिक आय तथा परिवार के अन्य सदस्य(यों) द्वारा अर्जित वार्षिक आय। **(05 अंक)**

क्र. सं.	**स्लैब**	**अंक**
1.	शून्य	05 अंक
2.	रु. 1---1,05,000	04
3.	रु. 1,05,001----1,35,000	03
4.	रु. 1,35,001----1,65,000	02
5.	रु. 1,65,001----1,95,000	01
6.	रु. 1,95,001 और उससे अधिक	00

(घ) परिवार की चल/अचल संपत्ति (नवीनतम बाजार मूल्य) जमा/बैंक शेष आदि सहित, लेकिन उपरिलिखित प्राप्त एकमुश्त राशि को छोड़कर। **(10 अंक)**

क्र. सं.	**स्लैब**	**अंक**
1.	शून्य	10
2.	रु. 5,00,000 तक	08
3.	रु. 5,00,001 ----10,00,000	06
4.	रु. 10,00,001----15,00,000	04
5.	रु. 15,00,001----20,00,000	02
6.	रु. 20,00,001 और उससे अधिक	00

(ङ) आश्रितों की संख्या **(15 अंक)**

क्र. सं.	**आश्रितों की संख्या**	**अंक**
1.	01	05
2.	02	10
3.	03 और अधिक	15

(च) अविवाहित पुत्रियों की संख्या **(15 अंक)**

क्र. सं.	**अविवाहित बच्चों की संख्या**	**अंक**
1.	कोई नहीं	00
2.	01	05
3.	02	10
4.	03 और अधिक	15

(छ) नाबालिग बच्चों की संख्या **(15 अंक)**

क्र. सं.	**नाबालिग बच्चों की संख्या**	**अंक**
1.	कोई नहीं	00
2.	01	05
3.	02	10
4.	03 और अधिक	15

(ज) शेष सेवा **(10 अंक)**

क्र. सं.	**शेष सेवा**	**अंक**
1.	0---5 वर्ष	02
2.	05 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	04
3.	10 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष तक	06
4.	15 वर्ष से अधिक एवं 20 वर्ष तक	08
5.	20 वर्ष से अधिक	10

2. तथापि, अनुकंपा नियुक्ति के लिए देर से आए हुए अनुरोधों पर विचार करने के लिए, जहाँ मृत्यु/विकलांगता बहुत पहले हुई हो, "मूल पारिवारिक पेंशन" और "सेवानिवृत्ति लाभ" अर्थात उपरिलिखित 1 (क) और (ख) के लिए अधिमान अंक निम्नलिखित तरीके से प्रदान किए जा सकते हैं: -

(क) मूल पारिवारिक पेंशन-2006 से पूर्व मृत कर्मचारी:

क्र. सं.	**स्लैब**	**अंक**
1.	1300 तक	20 अंक
2.	1301----1500	18
3.	1501----1700	16
4.	1701----1900	14
5.	1901----2100	12
6.	2101----2300	10
7.	2301----2500	08
8.	2501 और अधिक	06

(ख) मूल पारिवारिक पेंशन-2016 से पूर्व मृत कर्मचारी:

क्र. सं.	स्लैब	अंक
1.	3500 तक	20 अंक
2.	3501----4500	18
3.	4501----5500	16
4.	5501----6500	14
5.	6501----7500	12
6.	7501----8500	10
7.	8501----9500	08
8.	9501 और अधिक	06

(ग) सेवान्त लाभ -2006 से पूर्व मृत कर्मचारी:

क्र. सं.	स्लैब	अंक
1.	1,00,000 तक	10 अंक
2.	1,00,001----1,20,000	09
3.	1,20,001----1,40,000	08
4.	1,40,001----1,60,000	07
5.	1,60,001----1,80,000	06
6.	1,80,001----2,00,000	05
7.	2,00,001----2,20,000	04
8.	2,20,001----2,40,000	03
9.	2,40,001----2,60,000	02
10.	2,60,001----3,00,000	01
11.	3,00,001 और अधिक	00

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य, जिसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, को निम्नलिखित परिस्थितियों में रियायत अंक के रूप में अतिरिक्त अंक मिलेंगे:

क्र. सं.	अतिरिक्त रियायत अंकों के लिए परिस्थितियाँ	अंक
1.	कर्मचारी और उसकी पत्नी/पति (अर्थात माता-पिता दोनों) की मृत्यु हो जाने की स्थिति में	20
2.	ऐसे मामलों में जहाँ मृत कर्मचारी की पत्नी ने अपने लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है	15
3.	यदि मृत कर्मचारी की आश्रित (पत्नी) दिव्यांग है	03
4.	यदि मृत कर्मचारी का आश्रित (परिवार का कोई सदस्य) दिव्यांग है	05

4. इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012- स्था.डी. द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर, समय सीमा को माफ करते हुए, जिन आवेदकों के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, उनके मामलों पर विचार करते समय निम्नलिखित योग्यता अंक प्रदान किए जाने हैं:

क्र. सं.	कर्मचारी की मृत्यु के बाद की अवधि	अंक
1.	5 वर्ष और अधिक	03
2.	>03 वर्ष और <05 वर्ष	05
3.	>02 वर्ष और <03 वर्ष	07
4.	<02 वर्ष	10

*****

सेवा के दौरान मृत्यु / अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के संबंद में

भाग -क

I. (क) सरकारी कर्मचारी का नाम (स्वर्गीय /चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त) ……………..

(ख) सरकारी कर्मचारी का पदनाम ……………..

(ग) क्या वह एमटीएस है (भूतपूर्व समूह 'घ') या नहीं? ……………..

(घ) सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि ……………..

(ङ) मृत्यु / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि ……………..

(च) सेवा की कुल अवधि ……………..

(छ) स्थायी या अस्थायी ……………..

(ज) क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं ……………..

II. (क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम ……………

(ख) सरकारी कर्मचारी के साथ उनका संबंध ……………..

(ग) जन्म तिथि ……………..

(घ) शैक्षणिक योग्यता ……………..

(ङ) क्या किसी अन्य आश्रित पारिवारिक सदस्य को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति मिली है ……………..

III शेष कुल परिसंपत्ति का विवरण राशि सहित

(क) पारिवारिक पेंशन ……………..

(ख) मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदान ……………..

(ग) सामान्य भविष्य निधि में शेष राशि ……………..

(घ) जीवन बीमा पॉलिसियाँ (डाक जीवन बीमा सहित) ……………..

(ङ) चल एवं अचल परिसंपत्तियाँ तथा परिवार द्वारा अर्जित वार्षिक आय ……………..

(च) केंद्र सरकार कर्मचारी बीमा राशि ……………..

(छ) अवकाश का नकदीकरण ……………..

(ज) अन्य कोई परिसंपत्ति ……………..

कुल ……………..

IV देयताओं का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई है। ……………

V सरकारी कर्मचारी के सभी आश्रित पारिवारिक सदस्यों का विवरण ……………

(यदि कोई कार्यरत हैं, तो उनकी आय तथा क्या वह साथ रहते हैं या अलग रहते हैं)

क्र सं	नाम	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	आयु	पता	कार्यरत हैं या नहीं, यदि कार्यरत हैं, तो रोजगार का विवरण और परिलब्धियाँ
1					
2					
3					

VI. **घोषणा / शपथ**

1. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त दिए गए तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। यदि इसमें उल्लिखित कोई तथ्य भविष्य में गलत या झूठ पाया जाता है, तो मेरी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।
2. मैं एतदद्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि परिवार के अन्य सदस्यों का उचित देखभाल करूंगा, जो इस फॉर्म के भाग-क 1(क) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र बल के सदस्य पर आश्रित हैं और यदि किसी समय पर यह साबित होता है कि मेरे द्वारा उक्त परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या उनका उचित प्रकार से देखभाल नहीं की जा रही है, तो मेरी सेवाएं नियुक्ति समाप्त कर दी जा सकती है।

दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम ....

पता...

मोबाइल सं.................................

ई मेल आईडी ....